



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-25032025-261918
CG-UP-E-25032025-261918

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1351]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 24, 2025/चैत्र 3, 1947

No. 1351]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 24, 2025/CHAITRA 3, 1947

रेल मंत्रालय

[उत्तर मध्य रेलवे (ब्रिज लाइन यूनिट)]

अधिसूचना

प्रयागराज, 27 फरवरी, 2025

का.आ. 1369(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989(1994 का 24), की धारा 2 के खंड (7 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में उल्लिखित उप खंड, स्तंभ (4) में उल्लिखित जिले के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश में “उत्तर मध्य रेलवे के आगरा मंडल में आगरा-पलवल सेक्शन में किमी 1422/16-18 पर समपार संख्या 540 के स्थान पर 02-लेन रोड ओवर ब्रिज का निर्माण” की विशेष रेल परियोजना के सन्दर्भ में ऐसे विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए के स्तंभ (2) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में क्रत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

सारणी

क्रम सं.	सक्षम प्राधिकारी	उप खंड	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	विशेष भूमि अध्यात्मि अधिकारी संयुक्त संगठन, मथुरा	छाता	मथुरा

[फा. सं. एनसीआर-एचक्यूशूल्याइएनजी(एमआईएससी)/19/2024-ओ/ओ डिप्टी चीफ/इंजी./ब्रिज /लाइन /एजीसी
(कम्प्यूटर संख्या: 126916)]

एस. सी. जैन, प्रधान मुख्य इंजीनियर

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Central Railway (Bridge Line Unit)]

NOTIFICATION

Prayagraj, the 27th February, 2025

S.O. 1369(E).—In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (2) of the Table below as 'competent authority' to perform the functions as such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the official gazette in respect of the Special Railway Project of "**Construction of 02-lane road over bridge in lieu of level crossing no. 540 at Km1422/16-18 in Agra-Palwal Section in Agra Division of North Central Railway**" in the state of Uttar Pradesh relating to sub division mentioned in column (3), District mentioned in column (4) of the said Table for the public purpose of execution, maintenance, management and operation of such Special Railway Project.

TABLE

Sr. No.	Competent Authority	Sub Division	District
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Special Land Acquisition Officer (joint organization), Mathura	Chhata	Mathura

[F. No. NCR-HQ0CENG(MIC)/19/2024-O/o DY.CE/Br./L/AGC (Computer No.126916)]

S. C. JAIN, Principal Chief Engineer